संख्या-21/1438/22-4-14-48(16)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-01दिसम्बर,2014

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु प्रदान की गयी पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 36422/नम-2, दिनांक- 20 नवम्बर, 2014 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 422/22-4-11-48(46)/10, दिनांक 07 फरवरी, 2011 तथा शासनादेश संख्या- 1019/22-4-12-48(46)/10, दिनांक 23 अगस्त, 2012, शासनादेश संख्या- 1672/22-4-12-48(46)/10, दिनांक 06 फरवरी, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद की मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण की मूल स्वीकृत लागत रू0 814.55 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 162.91 लाख, द्वितीय किश्त के रूप में रू0 325.82 एवं तृतीय किश्त के रूप में रू0 285.09 लाख इस प्रकार कुल रू0 773.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रश्नगत निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्यास- 1310/22-4-14-48(46)/10, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 द्वारा रू0 1068.05 लाख की लागत पर प्रदान की गयी। पुनरीक्षित स्वीकृति के क्रम में रू0 2,40,23,000/-(रूपया दो करोड़ चालीस लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य की अवशेष धनराशि की स्वीकृति परियोजना के कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर प्रदान की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला चालू व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण्-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2011 तथा दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

5- कार्य पूर्ण होने पर कार्य संपरीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-21/1438(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(2) प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ ।
(3) जिलाधिकारी,इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in